26.01.18 पत्रावली पेश हुई। अदालत द्वारा उभय पक्ष की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगण की माता अप्रार्थिया सं. 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चूंकि यह आराजी जद्दी जायदाद है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही

Scanned by CamScanner

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एक हिस्सा बनता है। प्रश्नगत आराजी पर दोनों पक्षों का कब्जा है। प्रश्नगत आराजी अप्रार्थिया सं. 2 के नाम दर्ज है अतः यदि अप्रार्थिया 2 ने इस आराजी को बेचान कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थीगण का दावा बेफल हो जाएगा एवं वाद-बहुलता में वृद्धि होगी। यहाँ विवाद पारिवारिक मामलें के मध्य है अतः खातेदार काश्तकार के विरुद्ध भी अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अधिवक्ता प्रार्थी ने इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1993 पेज 206 प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला दावा कन्फर्म करने का कथन किया।

अधिवक्ता अप्रार्थिया ने जवाब बहस में कथन किए कि प्रश्नगत आराजी अप्रार्थिया के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड होने से हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 14 के तहत वह अपनी इस संपत्ति की पूर्ण स्वामिनी है। इंतकाल संख्या 88 एवं 142 की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर कथन किया कि यह आराजी पैतृक सम्पत्ति न होकर अप्रार्थिया को जरिए वसीयत प्राप्त हुई है। इंतकाल संख्या 142 का हवाला देते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण एक बार खाता विभाजन द्वारा जमीन में अपना हिस्सा ले चुके हैं, दुबारा नहीं ले सकते। अतः प्रथमदृष्ट्या मामला अप्रार्थिया के पक्ष में बनता है। अप्रार्थिया खातेदार काश्तकार होने के साथ-साथ एक विधवा औरत है जिसे प्रार्थीगण अनेक अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं अतः अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा एवं सम्माननीय न्यायालयों की ~~[illegible]~~ न्यायदृष्टांत का सावधान अध्ययन किया गया। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीनों विधि द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सुनवाई बाद निम्नांकित बिंदुओं पर विचारण करना होगा -

1. प्रथमदृष्टया मामला: प्रश्नगत आराजी अप्रार्थिया 3 नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थिया प्रश्नगत आराजी की खातेदार काश्तकार है। पत्रावली पर उपलब्ध इंतकाल संख्या 142 दिनांक 16.9.98 ग्राम LA आराजी मावा [illegible] के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अर्थ में प्रश्नगत आराजी सहित अन्य जमीन का प्रार्थीगण एवं अप्रार्थिया के मध्य खाता विभाजन द्वारा तरतीबवार हिस्से हो चुका है जिसमें अप्रार्थिया को प्रश्नगत आराजी प्राप्त हुई। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 14 के तहत अप्रार्थिया इस आराजी की पूर्ण स्वामिनी है। वादग्रस्त आराजी के कब्जा का जहाँ तक प्रश्न है अधिवक्ता प्रार्थी ने यह स्वीकार किया है कि अप्रार्थिया का भी इस आराजी पर कब्जा है। यद्यपि यह वाद में जरिए साक्ष्य तय होना है कि प्रश्नगत आराजी पैतृक सम्पत्ति है अथवा नहीं परंतु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, अप्रार्थिया के खातेदार काश्तकार होने, प्रश्नगत आराजी पर उसके कब्जा होने एवं इस आराजी की पूर्ण स्वामिनी होने के कारण प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थीगण की बजाए अप्रार्थिया के पक्ष में बनता है। अतः यह बिंदु प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति:- अप्रार्थिया का खातेदार काश्तकार एवं प्रश्नगत आराजी की पूर्ण स्वामिनी होने से सुविधा का संतुलन अप्रार्थिया के पक्ष में अधिक है। खातेदार काश्तकार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधिवक्ता प्रार्थी यह साबित करने में असफल रहे कि उन्हें किस प्रकार अपूरणीय क्षति होगी जिसका पुनर्भरण संभव न हो। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत यहाँ चस्पा नहीं होते।

उक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा के उक्त तीनों बिंदु अप्रार्थिया 1 के पक्ष में निर्णीत किए जाते हैं। अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 25/05/14 खारिज की जाती है। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली शामिल मुख्य होकर मूल वाद के साथ पेश होवे।

[illegible]